नं. मुकदमा 20/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बालकृष्ण V/s रामखिलाड़ी व०/०
21/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने आवे० प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुये कहा कि उक्त भूमि के प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2-1/2 हिस्सा है। अप्रार्थीगण द्वारा 3679, 3680 3681 पर पाटोर निर्माण किया हुआ है। तथा विवादित भूमि पर पत्थर डाल दिये गये है तथा नींव की खुदाई की जा रही है; रोकने पर अप्रार्थीगण द्वारा गाली गलोच भी की जाती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख.न. 3679 3680, 3681 पर अप्रार्थीगण का विगत 40 वर्षों से कब्जा है तथा अप्रार्थीगण इन खसरा नम्बरों में बनी हुई पाटोर पोश में विगत 40 वर्षों से रह रहे है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी इस बात का अंकन किया गया है प्रार्थीगण का भूमि पर [illegible] के कारण प्रार्थीगण [illegible] खारिज किये जाने योग्य है [illegible] किया [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.19 के अनुसार भूमि ~~[illegible]~~ ख.न. 3679, 3680 3681 पर रामखिलाड़ी पुत्र बद्री, बैरवा ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2025.10.14 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाटोर आदि का निर्माण कर रखा है। तथा मकान निर्माण हेतु पत्थर डाल रखे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है। तथा पत्रावली में दिनांक 10.6.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (गंगापुर सिटी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2025.10.14 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested